न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं.11/2002 आवंटन नियम 14(4)
रामस्वरूप पुत्र चौथी लाल जाति ब्राहमण निवासी पाखर तहसील महवा जिला दौसा
.....प्रार्थी

बनाम

मंदिर श्री हनुमानजी महाराज संरक्षक ग्राम पंचायत पाखर तहसील महवा जिला दौसा
.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) राजस्थान लैंड रेवेन्यू कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 वास्ते निरस्त करने आवंटन भूमि खसरा नंबर 1797 रकबा 1.60है0 वाके ग्राम पाखर दिनांक 28.1.1985

उपस्थितः–1.श्री विनोद विजय, अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 14.12.2021

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 28.1.1985 को ग्राम पाखर के आ0ख0नं0 1797 रकबा 1.60 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी को कर दिया। इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी है कि आवंटन सलाहकार समिति का आदेश दिनांक 28.1.1985 सरासर विधि विरुद्ध प्रकिया नियमों के विपरीत है। आराजी खसरा नंबर 1797 रकबा 1.60है0 गै0मु0तलाई वाके ग्राम पाखर में स्थित है। तहसील महवा मे भू–प्रबंध का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके भू–प्रबंध के पूर्व खसरा नंबर 455 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा है। खसरा नंबर 1797 व पूर्व खसरा नंबर 455 की किस्म गैर मुमकिन तलाई है, जो बिना किस्म परिवर्तन के आवंटित नहीं की जा सकती है। इस अवैध आवंटन के आधार पर अप्रार्थी ने भूमि का नामान्तरण तस्दीक करा लिया। कृषि भूमि हेतु आवंटन नियमों के अंतर्गत किसी भी मूर्ति के नाम कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। फिर भी उक्त सरासर गैर कानूनी आवंटन अप्रार्थी के हक में कर दिया है। दिनांक 28.01.1985 को आवंटन कमेटी द्वारा गैर मुमकिन तलाई भूमि का आवंटन किया गया था, जो हनुमानजी महाराज के नाम की गई थीं। जबकि आवंटन आदेश में दर्ज है कि उक्त गैर मुमकिन तलाई पर बतौर अतिकमी प्रार्थी का कब्जा है। ऐसी सूरत में कोई भूमि जब तक खाली न हो तो भूमि आवंटित नही की जा सकती है। ऐसे गैर कानूनी तरीके से किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। उप जिला कलक्टर हिण्डौन ने दिनांक 28.1.1985 को ही जो आवंटन आदेश खसरा नंबर 455 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा ग्राम पाखर हनुमानजी के

नाम किया गया था, उसे निरस्त करते हुए जिला कलक्टर महोदय, सवाई माधोपुर को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया था। ग्राम पाखर वर्तमान में तहसील महवा में स्थित है, जो कि पूर्व मे सवाई माधोपुर जिले का भाग था। उक्त आवंटित गैर मुमकिन तलाई भूमि पर प्रार्थी का कब्जा रहा है और आज भी उक्त जमीन पर प्रार्थी ही काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। उक्त तलाई के चारों ओर अपीलांट की कृषि भूमि है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी को कब्जा भी नहीं संभलाया गया व अप्रार्थी ने इस भूमि पर कभी काश्त नहीं की, फिर भी यह रिपोर्ट किया जाना कि आवंटी द्वारा संपूर्ण आवंटन की शर्तों की पालना की गई है, सरासर गलत है। आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों की कोई पालना नहीं की गई है, ना ही आवंटी ने आज तक भूमि पर कभी काश्त नहीं की है। आवंटन के समय व आवंटन के पूर्व उक्त भूमि खाली नहीं थी बल्कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में थी। आज दिनांक को भी प्रार्थी का ही उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त है तथा आवंटित की गई भूमि के चारों ओर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। आवंटित भूमि तलाई के काम में नहीं आती है ना ही पानी का भराव होता है। आवंटित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के बीच में होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन कदापि नहीं किया जा सकता है। परन्तु आवंटन कमेटी द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन अप्रार्थी को कर गलती की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 28.1.1985 बहक अप्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी बाद तामील अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अप्रार्थी के हक में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.1.1985 को ग्राम पाखर स्थित आराजी खसरा नंबर 455 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है। उप जिला कलक्टर हिंडौन द्वारा उसी दिन आवंटित की गई भूमि वाके ग्राम पाखर का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.1.1985 को आवंटी को ग्रम पाखर स्थित आराजी खसरा नंबर 455 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा का आवंटन किया गया था। पत्रावली में संलग्न आवंटन कमेटी की आज्ञा दिनांक 28.1.1985 का अवलोकन किया गया। दिनांक 28.1.1985 को गैर मुमकिन तलाई भूमि को मुताबिक रिपोर्ट पानी नहीं भरना अंकित किया है। साथ ही उक्त भूमि पर बतौर खसरा परिवर्तनशील संवत 2040 में रामस्वरूप वल्द चौखेलाल ब्राहमण का अतिकमण होना बताया है। इससे पूर्व किसी का अतिकमण नहीं होना अंकित है। भूमि ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र के अनुसार मंदिर हनुमानजी हेतु आवंटित की गई है। भूमि ग्राम पंचायत के संरक्षकत्व में रहेगी। तत्पश्चात दिनांक 28.1.1985 को ही उप जिला कलक्टर हिंडौन कैंप उकरूंद तहसील महवा द्वारा आदेश पारित किया गया कि ग्राम पाखर में श्री हनुमानजी के नाम खसरा नंबर 455 रकबा 06 बीघा 6 बिस्वा गै0मु0तलाई में आवंटन किया गया है, जिसमें ग्रामवासियों तथा एडवाईजरी कमेटी के सदस्यों ने बाद में आपत्ति प्रकट की है, कि मूर्ति श्री हनुमानजी को जो आवंटन ग्राम पाखर खसरा नंबर 455 गैर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुमकिन तलाई में हुआ है, वह जनहित में उपयोगी नहीं होकर ग्रामवासियों में विवाद पैदा करता है। आदेश खसरा नंबर 455 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा गैर मुमकिन तलाई ग्राम पाखर आवंटन निरस्त किया जाता है तथा जो आदेश जारी हुआ है, उसको निरस्त मानकर दूसरा आदेश जारी है। निरस्त आवंटन खसरा नंबर 455 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा गै0मु0तलाई ग्राम पाखर की सूचना जिलाधीश महोदय, सवाई माधोपुर को प्रेषित है। इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश दिनांक 28.1.1985 को आवंटित की गई गै0मु0 तलाई भूमि खसरा नंबर 455 का आवंटन उसी दिन अर्थात दिनांक 28.01.1985 को ही निरस्त कर दिया गया। जब आवंटित भूमि का आवंटन उप जिला कलक्टर हिंडौन द्वारा कैंप उकरूंद में आवंटन की दिनांक को ही निरस्त कर दिया गया एवं उसकी सूचना तत्कालीन जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रेषित कर दी गई तो अब पृथक से उसी आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु पुनः प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 14 दिसंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा